कार्यालय नगर परिषद, सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2021-22/ 12563

Date: 31.12.2021

श्रीमती चन्द्री देवी पत्नी स्व0 श्री गणपतराम,
निवासी जाटों का चौक, रामपुरा रास्ता सीकर
जरिये मुख्तयार 1. श्री बनवारी लाल खींचड़
2. श्री मदनलाल पुत्रगण श्री गणपतराम,
निवासीगण वार्ड न. 20, जाटों का चौक, बाण्डिया बास, सीकर

विषयः— राजस्व ग्राम सीकर के खसरा सं. 1607 रकबा 2.7200 है0 में से 0.9870 है0 अथवा 9870 वर्गमीटर (नवीन खसरा नम्बर 2605/1607 रकबा 0.9870 है0 किस्म गै0मु0 आबादी) भूमि का कृषि से अकृषिक उपयोग (आवासीय) प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन करने बाबत।

प्रसंगः— निकाय स्तर पर गठित ले—आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 11.12.2021 के संबंध में।

उपर्युक्त विष्यान्तर्गतलेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान को विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 3(50)यूडीएच/3/2012, प.3(90)नविवि/03/2012 दिनांक 21.06.2012 के नियम 31, 32 के तहत गठित ले—आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 11.12.2021 के द्वारा निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता हैः—

1. प्रकरण में आवासीय योजना का परीक्षण नगरीय विकास विभाग राजस्थान द्वारा जारी टाउनशिप पॉलिसी—2010 के तहत किया गया है।
2. उक्त प्रकरण में प्रस्तुत योजना मानचित्र का हल्का पटवारी द्वारा योजना सीमा बिन्दू "ए,बी,सी,डी,ई,एफ" तक प्रमाणिकरण किया गया है।
3. उपर्युक्त स्वीकृत मानचित्र में प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार यानी पहुंच मार्ग मौके पर कायम किया जाने का दायित्व संबंधित आवेदक का रहेगा।
4. उक्त आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 9870 वर्गमीटर है, जिसका निम्न प्रकार से भू—उपयोग निर्धारित किया जाना स्वीकृत किया जाता हैः—

क.स.	भू—उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रतिशत
1	आवासीय	6440.86	65.26
2	सड़क	3440.80	34.86
3	मास्टर प्लान रोड़ सरेण्डर एरिया	50.09	00.51
4	योग	9870	100

5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दू संख्या 11(IV) के प्रावधानुसार विकय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को आन्तरिक विकास यथा सड़क, स्ट्रीट लाईट, जलापूर्ती, सीवरेज/ड्रेनेज, का कार्य निर्धारित समय सीमा में कराने की जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की रहेगी, के पेटे निकाय द्वारा उपबंधित/रहन रखे जावेंगे एवं आमजन के जानकारी हेतु उक्त भूखण्डों की सार्वजनिक जानकारी का विवरण पट्टिका संबंधित कॉलोनी में लगवाया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।
6. ले—आउट से संबंधित भूमि का मौके पर क्षेत्रफल या भूमि के स्वामित्व संबंधित पूर्ण होना या कम होने पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नगर परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, संबंधित आवेदक की रहेगी।
7. आवेदित भूमि के आस—पास की पूर्व से अनुमोदित या 17.06.1999 से पूर्व की कोई कॉलोनी विकसित/ अवस्थित होने की दशा में उक्त में से आने वाली सड़कों की निरन्तरता यथा संभव सुनिश्चित किया जाने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी एवं आवश्यक हुआ तो भूखण्डों का विकय/आवंटन करने से पूर्व ले—आउट में संशोधन करवाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

madu

Scanned with CamScanner

8. प्रस्तावित योजना में पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण की दृष्टि से नियमानुसार वर्षा जल संग्रहण हेतु स्थापना करवाया जाने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की रहेगी।

9. प्रस्तावित योजना में विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम 30 वृक्ष प्रति एकड़ के अनुसार सड़कों के दोनों ओर लगाये जाने होंगे।

10. प्रस्तावित योजना में भवन निर्माण से पूर्व भूखण्ड क्रेता/आवंटी के द्वारा प्रचलित भवन निर्माण आज्ञा नियमों के तहत निर्माण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण किया जा सकेगा।

संलग्नः— स्वीकृत ले—आउट प्लान की प्रति।

(श्रवण कुमार विश्नोई)
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

श्री कल्याण नगर परिषद, भवन, राणी सत्ती रोड़, Pin 332001, Email:- sikarulb.jaipur@gmail.com

S. No. :- F.(11)/90A /2021-22/ 12437 Date: 04/01/2022

अधिवास प्रमाण पत्र

सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम सीकर के खसरा सं. 1607 रकबा 2.7200 है0 में से 0.9870 है0 अथवा 9870 वर्गमीटर (नवीन खसरा नम्बर 2605/1607 रकबा 0.9870 है0 किस्म गै0मु0 आबादी) भूमि का राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण किया जा चूका है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क की कार्यवाही एवं ले–आउट प्लान का अनुमोदन सक्षम स्तर से किया जा चूका है। विकासकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया गया है एवं आन्तरिक विकास की एवज में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 35, 36, 37, 38) जरिये डीड (100/– रूप्ये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित) नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) किये जा चूके हैं। अतः विकासकर्ता Pludg(रहन) किये गये भूखण्डों, भूखण्ड संख्या 35, 36, 37, 38 को छोड़कर शेष भूखण्डों का अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार बेचान करने के लिए स्वतंत्र हैं। भूखण्डों का जिन लोगों को बेचान किया जाता है, उनको निर्धारित प्रपत्र में प्रोविजनल पट्टा जारी कर आवंटियों की सूची नगर परिषद कार्यालय में 100/– रूपये के शपथ पत्र पर प्रस्तुत करें। इसके साथ–साथ उक्त योजना में आन्तरिक विकास अर्थात सड़क, पानी, बिजली, पार्क, ड्रेनेज आदि अपने स्तर पर विकसित करें। ये सुविधाऐं विकसित करने पर ही Pludg (रहन) किये गये भूखण्ड रिलिज किये जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2021-22/ 12438–42 Date: 04/01/2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, सीकर।
2. संबंधित जोन निरीक्षक, नगर परिषद, सीकर।
3. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सीकर।
4. कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, सीकर।
5. विकासकर्ता/आवेदक श्रीमती चन्द्री देवी पत्नी स्व0 श्री गणपतराम, निवासी जाटों का चौक, रामपुरा रास्ता सीकर जरिये मुख्तयार 1. श्री बनवारी लाल खींचड़ 2. श्री मदनलाल पुत्रगण श्री गणपतराम, निवासीगण वार्ड न. 20, जाटों का चौक, बाण्डिया बास, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आन्तरिक विकास के एवज में नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) किये गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों की सूची कॉलोनी में बोर्ड पर चस्पा करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

"DEVGHAR 1ST"

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO.1607 NEAR VINAYAK VATIKA, SIKAR
REVENUE VILL. -SIKAR. DIST.-SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A AND RESIDENTIAL CONVERSION
APPLICANT:-CHANDRI DEVI W/o LATE GANPAT RAM R/o JATO KA CHOWK, RAMPURA RASTA, SIKAR
THROUGH POWER OF ATTORNEY HOLDER'S-1. BANWARI LAL KHICHAR S/o, 2.MADAN LAL ALL S/o LATE GANPAT RAM KHICHAR

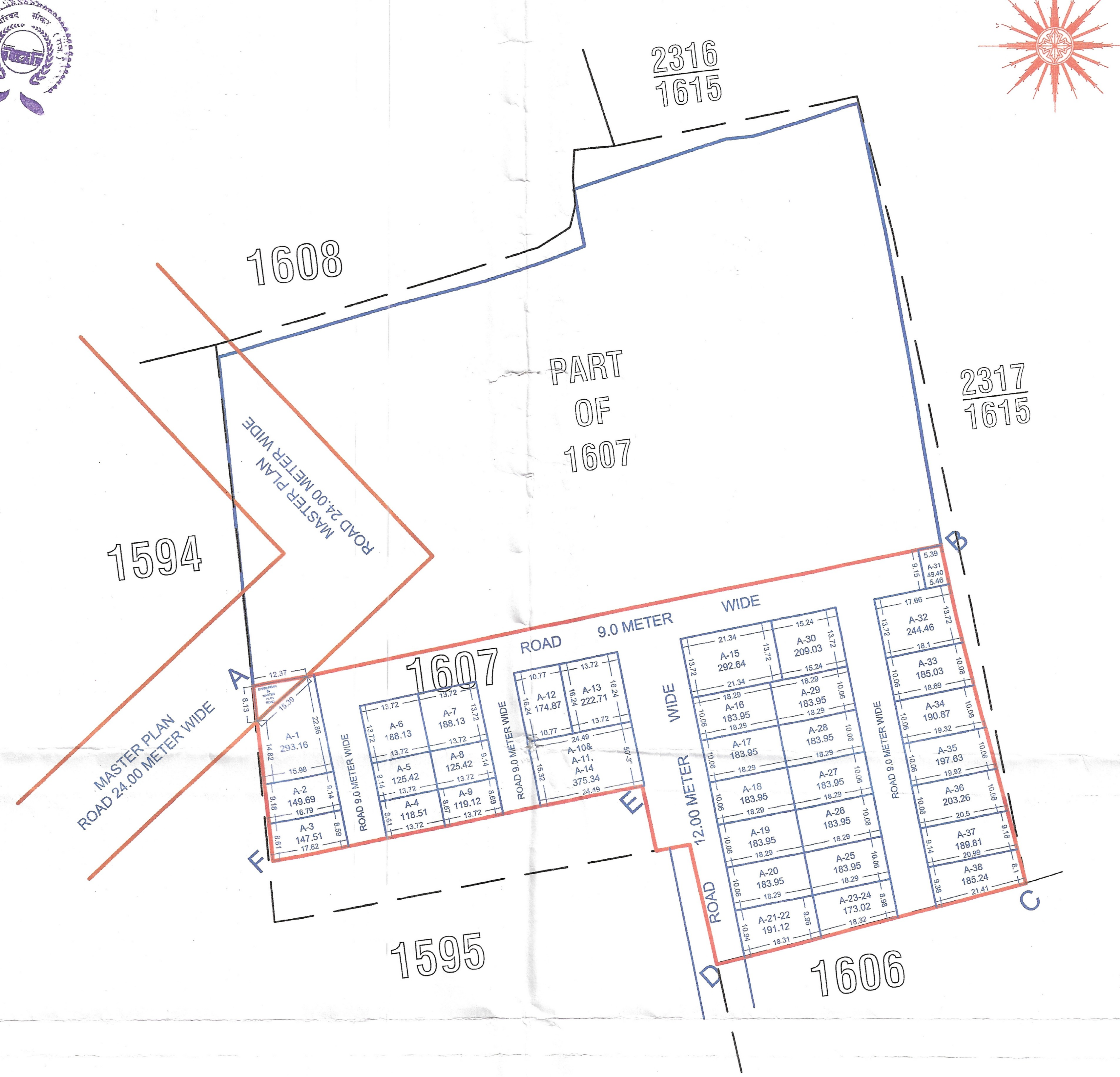

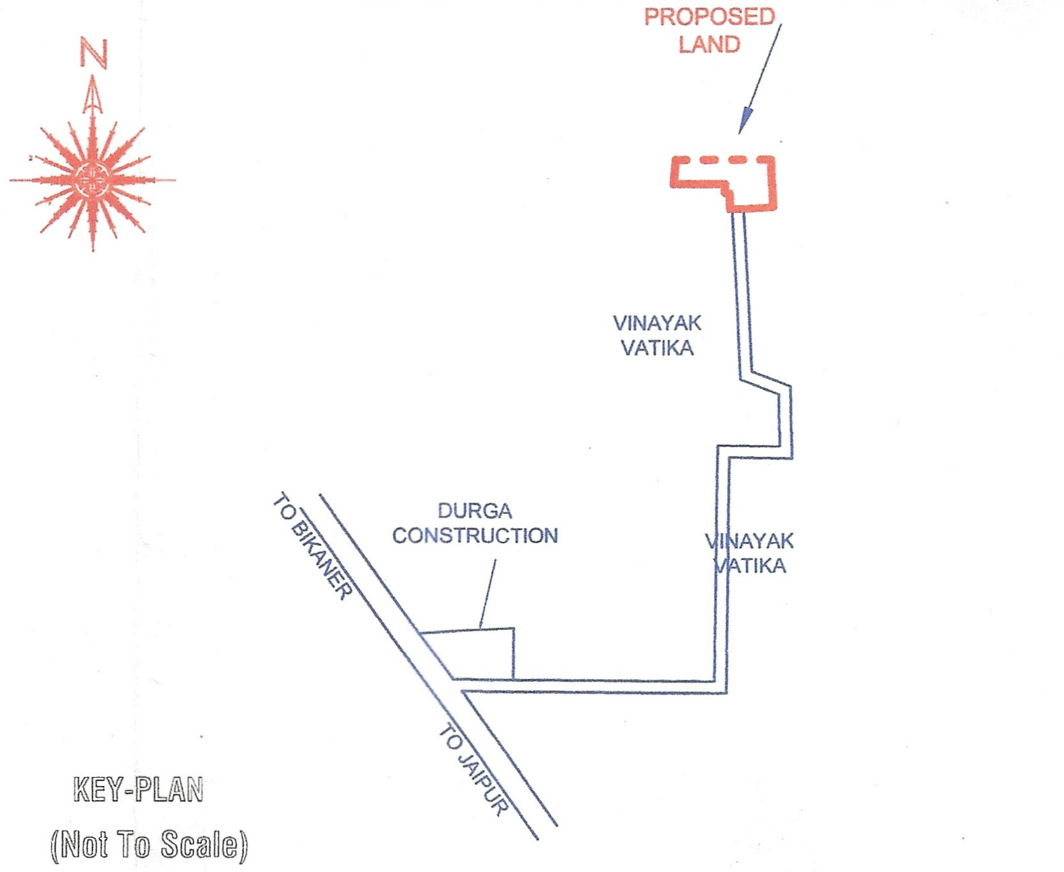

KEY-PLAN
(Not To Scale)

Sanwar
Madan

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.yds)	%
1.	RESIDENTIAL	6379.10	64.63 %
2.	ROAD	3440.81	34.86 %
3.	MASTER PLAN ROAD SURRENDER IN	0050.09	00.51 %
	TOTAL	9870.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PLOTS	NO. PLOTS
2.	RESIDENTIAL	38

(red line)	SCHEME BOUNDARY
(blue line)	B.T.ROAD
(dashed line)	KHASRA LINE
(line)	PLOT BOUNDARY

नगर परिषद स्तरीय ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 11/12/2021 में अनुमोदित किया गया। कमेटी की बैठक का कार्यवाही विवरण कार्यालय पत्रांक 1152 दिनांक 15/12/2021 जारी किया गया।

कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद, सीकर
सहायक नगर नियोजक नगर परिषद, सीकर
आयुक्त नगर परिषद, सीकर

NOTE :- ALL DIMENSIONS ARE IN METER

DRAWING BY
HOME ARCHITECT & SURVEYORS
IN FRONT OF COURT,
JANGIR BHAWAN FIRST FLOOR, SIKAR
9928338794,7891067650

TOTAL AREA IN KH. NO. 1607 = 27200.00 SQ. MTR
AREA AVAILABLE AT SITE=9870.00 SQ.MTR.

SCALE = 1:8
ALL DIMENSION ARE IN FEET

HOME ARCHITECT & SURVEYORS, Opp. Court, Sikar